



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1943 (श10)
(सं० पटना 723) पटना, मंगलवार, 24 अगस्त 2021

सं० 08/आरोप-01-57/2017/8741-सां०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
12 अगस्त 2021

श्रीमती सिम्मी प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-767/2011, अनुदेशक, चकबन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विरुद्ध दिनांक 22.06.2002 से 20.12.2012 के बीच विभिन्न अवधियों में लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति संबंधी आरोप पत्र प्रशाखा-12, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त क्रम में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 14625 दिनांक 17.11.2017 द्वारा श्रीमती प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्रीमती प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15934 दिनांक 06.12.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

3. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 140 दिनांक 06.02.2020 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्रीमती प्रसाद के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 3493 दिनांक 06.03.2020 द्वारा श्रीमती प्रसाद से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त क्रम में श्रीमती प्रसाद द्वारा लिखित अभिकथन (दिनांक 12.05.2020)

समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से कहा गया है कि पदस्थापन के कतिपय स्थानों पर ससमय योगदान नहीं करने और अपने पदीय दायित्वों का प्रभार ग्रहण नहीं करने के लिए उनकी अस्वस्थता एवं उनकी पारिवारिक पस्थितियाँ उत्तरदायी रही है। साथ ही अभिकथन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्हें मिले पारिवारिक असहयोग, अन्तर्जातीय विवाह, उनकी अस्वस्थता, छोटी छोटी बच्चियाँ, पति का अन्यत्र पदस्थापन आदि के कारण अपने पदस्थापित स्थान पर ससमय योगदान नहीं किया गया।

4. श्रीमती प्रसाद के विरुद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्रीमती प्रसाद ने अपने लिखित अभिकथन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया है जो उन्होंने अपने स्पष्टीकरण और संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित लिखित बचाव बयान में किया था, जिसका संचालन पदाधिकारी द्वारा विस्तार से जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है एवं उन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति संबंधी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। समीक्षा में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोप पत्र में उल्लिखित विभिन्न पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधियों में भी श्रीमती प्रसाद अनाधिकृत अनुपस्थित रही है।

श्रीमती प्रसाद के दिनांक 22.06.2002 से 20.12.2012 तक अनाधिकृत रूप में अनुपस्थित रहने की अवधि में से दिनांक 11.11.2004 से 02.07.2008 तक की अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए पूर्व में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर प्रमाणित आरोपों के लिए संकल्प ज्ञापांक-19189 दिनांक 18.12.2013 द्वारा एक वेतन वृद्धि पर संचायत्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित किया जा चुका है।

5. शेष अवधि दिनांक 22.06.2002 से दिनांक 10.11.2004 एवं दिनांक 03.07.2008 से 20.12.2012 तक अनाधिकृत अनुपस्थिति संबंधी प्रमाणित आरोपों के लिए श्रीमती प्रसाद का लिखित अभिकथन अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा (i) निन्दन एवं (ii) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दंड विनिश्चित किया गया तथा उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव के कंडिका-(ii) पर विभागीय पत्रांक-296 दिनांक 07.01.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से मंतव्य की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-3298 दिनांक 15.02.2021 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें प्रस्तावित दंड अनुपातिक नहीं होने का उल्लेख किया गया।

6. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि आयोग द्वारा प्रस्तावित दंड के अनुपातिक नहीं होने के कारणों का उल्लेख अपने मंतव्य में नहीं किया गया है, जबकि श्रीमती प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाया गया है।

7. बिहार लोक सेवा आयोग के अभिमत से असहमत होते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति संबंधी प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3581 दिनांक 12.03.2021 द्वारा श्रीमती सिम्मी प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-767/2011, अनुदेशक, चकबन्दी प्रशिक्षण संस्थान, पटना को निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया:-

- (i) निन्दन (वर्ष-2002 से 2004 एवं 2008 से 2012)
- (ii) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक।

8. उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्रीमती प्रसाद द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (पत्रांक-0 दिनांक 13.04.2021) समर्पित किया गया। श्रीमती प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में मुख्य रूप से कहा गया कि उन्हें जो दंड संसूचित किया गया है, वह अनुचित है और उनकी स्थिति/परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मंतव्य उनके पक्ष में दिया गया है। अतः आयोग के मंतव्य एवं उनके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए आदेश निरस्त किया जाय।

9. श्रीमती प्रसाद से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती प्रसाद द्वारा अपने पुनर्विलोकन याचिका में सिर्फ स्थिति/परिस्थिति का जिक्र करते हुए संसूचित दंडादेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा अपनी स्थिति/परिस्थितियों का उल्लेख अपने पूर्व के स्पष्टीकरण/संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान में भी किया गया था जिसके समीक्षोपरांत ही संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। श्रीमती प्रसाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन आवेदन में किसी नये तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसपर विचार किया जा सके।

10. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए श्रीमती प्रसाद को पूर्व अधिरोपित दंड “ (i) निन्दन (वर्ष-2002 से 2004 एवं 2008 से 2012) (ii) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक” को पूर्ववत बरकरार रखा जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो० सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 723-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**